सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, संचालनालय, मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016
फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/क.वि./2025/ I/505230/2025 19-09-2025
प्रति,

समस्त संयुक्त / उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश।

विषय :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के प्रकरणों को अनलॉक करने के संबंध में।

---0------

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन एन.आई.सी. म.प्र. द्वारा विकसित विवाह पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। उक्त पोर्टल पर स्थानीय निकायों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है :-

- सामूहिक विवाह /निकाह कार्यक्रम की जानकारी दर्ज कर प्राप्त आवेदनों को ऑनलाईन दर्ज किया जाता है
- ऑनलाईन दर्ज आवेदनों को पात्र/अपात्र किया जाता है।
- पात्र आवेदनों को विवाह /निकाह उपरांत पोर्टल पर उपस्थिति / अनुपस्थिति दर्ज की जाती है।
- उपस्थित हितग्राहियों को किये गये भुगतान की जानकारी दर्ज की जाती है।

जिला स्तर एवं जनपद पंचायत/नगर पालिका परिषद से प्राप्त पत्रों में यह संज्ञान में आया है कि कुछ हितग्राहियों को त्रुटिवश अपात्र / पात्र / उपस्थित / अनुपस्थित दर्ज कर दिया गया है, उक्त प्रकरणों को अनलॉक करने हेतु संचालनालय को पत्र प्रेषित किया जाता है, **जबकिअनलॉक करने की सुविधा विवाह पोर्टल पर जिला कार्यालय के लॉगईन पर उपलब्ध है।**

अत: जिला अधिकारी निकायों से प्राप्त पत्र के आधार पर जिला स्तर से ही प्रकरणों को विवाह पोर्टल पर अनलॉक करें, उक्त पत्रों को संचालनालय में प्रेषित नहीं किया जाये। किसी भी प्रकार की अनियमित्ता होने पर स्थानीय निकाय के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रक्रिया संलग्न।

अपरिहार्य कारणों से विवाह पोर्टल पर पंजीयन नहीं हो सकने की स्थिति में आवेदन को पोर्टल पर पंजीयन करने के लिए विवाह पोर्टल ओपन करने हेतु पत्र जिला कलेक्टर की अनुशंसा से आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण को प्रेषित किया जाये।

Digitally signed by
Pramila Waikar
Date: 19-09-2025
12:47:24

उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./क.वि./2025/ भोपाल, दिनाक

प्रतिलिपी:-

1. निज सहायक,प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
2. निज सहायक, आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.।
3. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
6. श्री योगेश सिंह, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी., म.प्र.।
7. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपरोक्तानुसार डिजीटल हस्ताक्षर किये
उप संचालक
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

विवाह पोर्टल पर कन्या विवाह/ निकाह आवेदन को अनलॉक करने की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम जिला कार्यालय विवाह पोर्टल पर लॉगईन करें

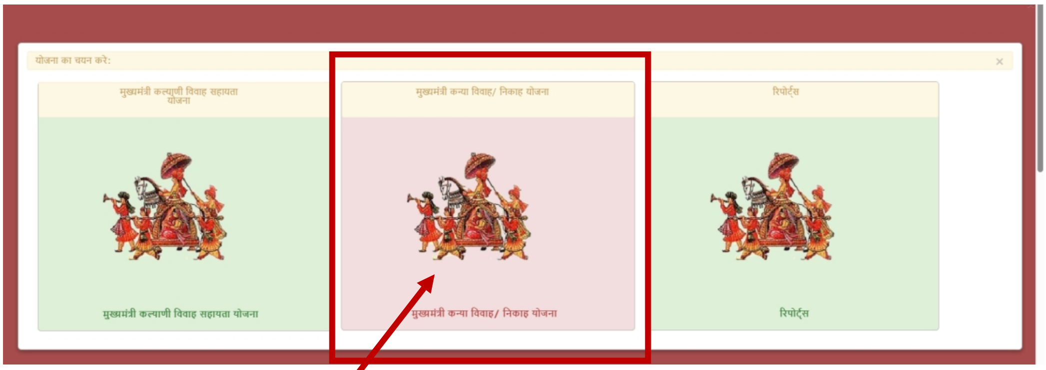

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना पर क्लिक करें
- स्टेटस लेवल चैजेंस पर क्लिक करें

Make Non eligible :पात्र किये गये आवेदन को अपात्र कर सकते है

Make Eligible:अपात्र किये गये आवेदन को पात्र कर सकते है

Modify Attendance: उपस्थिति को अपडेट कर सकते है